हाईवे पर शराब बिक्री : महाधिवक्ता हाजिर हों

हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई 30 को, 200 से अधिक शराब विक्रेताओं ने की याचिका दायर

प्रतिनिधि, 22 जून

नागपुर- स्टेट हाईवे और स्टेट रोड के बीच राज्य सरकार की गफलत के चलते विदर्भ के 200 से अधिक शराब विक्रेताओं द्वारा बिक्री शुरू करवाने के लिए उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर 30 जून को अंतिम सुनवाई की जाएगी. जस्टिस भूषण धर्माधिकारी और जस्टिस राहुल देव की बेंच ने बुधवार को सुनवाई को आगे ढकेल दिया. बुधवार को राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकर्णी अपनी दलीलें पेश करने वाले थे. उल्लेखनीय है कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर याचिका पर फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2016 और 31 मार्च

2017 को अपने आदेश में देश के सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से 500 मीटर के दायरे में चल रहे बारों और दुकानों में जारी शराब बिक्री को बंद करने के आदेश दिए थे. इस आदेश के बाद राज्य सरकार ने स्टेट हाईवे के साथ स्टेट रोड के किनारे बनी शराब दुकानों पर बिक्री बंद करवा दी.

इसके विरोध में नागपुर समेत अमरावती, यवतमाल, बुलढाणा आदि जिलों के 200 से अधिक शराब विक्रेताओं ने उच्च न्यायालय की शरण ली.

'सुनवाई के दौरान बताया गया कि विदर्भ में कई शहरों में बायपास उपलब्ध हैं. ऐसे में इन शहरों के अंदर बंद करवाई गई शराब की दुकानों को दोबारा शुरू करने की अनुमति हाईकोर्ट से मांगी गई है. राज्य सरकार ने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और स्टेट रोड को एक ही समान होने की दलील दी है. 30 जून को महाधिवक्ता सरकार पक्ष रखेंगे. याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एड. सुबोध धर्माधिकारी, एड. देवेंद्र चौहान , एड. श्याम देवानी, एड. विक्रम उंदरे ने पैरवी की जबकि सरकार की ओर से प्रभारी सरकारी वकील आनंद फुलझेले, अतिरिक्त सरकारी वकील केतकी जोशी मौजूद रहे.

कइयों के लाइसेंस रद्द

हाईकोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने सुको के आदेश का गलत अर्थ निकालकर हाईवे के अलावा स्टेट रोड के किनारे चल रही दुकानें भी बंद करवा दीं और कइयों के लाइसेंस भी रद्द कर दिये. लेकिन स्टेट रोड के संदर्भ में अधिकृत अधिसूचना जारी होने तक इन्हें स्टेट हाईवे का दर्जा प्राप्त नहीं होता. इसलिए स्टेट रोड से लगी दुकानों को दोबारा शुरू करने की अनुमति दी जाए. इस दौरान यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार ने स्वयं 2001 में निर्णय लिया था कि किसी शहर से गुजरने वाले बायपास के होते हुए शहर से गुजरने वाले रोड को हाईवे नहीं कहा जा सकता. लेकिन अभी तक इस निर्णय का पालन नहीं किया गया है.

नर्स का बलात्कार कर बनाई वीडियो क्लिपिंग

आरोपी चिकित्सक को 25 तक पीसीआर, ढ़ाई माह से कर रहा था शोषण

प्रतिनिधि, 22 जून

नागपुर- कोल्डड्रिंक में नशे की दवा मिलाने के बाद एक चिकित्सक ने नर्स को हवस का शिकार बनाया और उसकी ब्लू फिल्म बनाई. ढाई माह से यौन शोषण की शिकार नर्स की शिकायत पर बजाज नगर पुलिस ने आरोपी चिकित्सक को गिरफ्तार करके मामला दर्ज किया है.

आरोपी हिंगणा निवासी 32 वर्षीय शेखर उर्फ सेवानंद सूर्यभान तायड़े है. तीन दिन में बलात्कार का यह दूसरा मामला है. शेखर ने बीएएमएस किया है. वह बजाज नगर के सिम्स अस्पताल में निवासी वैद्यकीय अधिकारी (आरएमओ) है. पीड़ित 27 वर्षीय युवती परिचारिका (नर्स) है. वह अस्पताल के होस्टल में ही रहती है. युवती की शिकायत के अनुसार शेखर ने खुद को अविवाहित बताकर उससे मित्रता की. शेखर ने युवती को शादी करने का झांसा दिया. अप्रैल में शेखर युवती को बजाज नगर परिसर के एक धार्मिक स्थल पर ले गया.

वहां उसने छात्रा को कोल्डड्रिंक पिलाई. इसके बाद युवती को बेहोशी जैसी आने लगी. होस्टल में छोड़ने के बहाने शेखर युवती को अपने घर ले गया. वहां उसने युवती से बलात्कार किया. इसकी वीडियो 'क्लिपिंग' भी बना ली. इसके बाद से क्लिपिंग दिखाकर छात्रा को हवस का शिकार बनाने लगा. इंकार करने पर वह छात्रा को क्लिपिंग वायरल करने की धमकी देता था. अविवाहित होने और बदनामी के भय से वह शेखर की यातनाएं झेलने लगी. शेखर की यातनाओं से त्रस्त होकर कुछ समय से युवती उससे कन्नी काटने लगी थी. इससे शेखर आहत हो गया था. हाल ही में युवती की शादी तय हुई थी. उसने युवती के होने वाले पति को क्लिपिंग भेज दी. इस वजह से शादी टूट गई. इसके बाद युवती ने बजाज नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने बलात्कार तथा सूचना तकनीक कानून के तहत मामला दर्ज करके शेखर को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी विवाहित है. पुलिस ने उससे क्लिपिंग भी बरामद की है. उसके द्वारा पहले भी इस तरह से युवतियों को शिकार बनाए जाने की आशंका है. उसे 25 जून तक हिरासत में लिया गया है.

चौराहे पर युवती से छेड़छाड़

मारीस कॉलेज टी प्लाइंट चौक पर एक युवती से छेड़वानी की गई. मॉल में सेल्सगर्ल युवती मंगलवार की रात दुपहिया से घर जा रही थी. फोन कॉल आने पर वह सीताबर्डी के मारीस कॉलेज टी प्वाइंट स्थित पुस्तक विक्रेताओं के सामने ठहरकर बात करने लगी. उसी वक्त सोनू रामप्रसाद उईके (22) मजीद नगर, कामठी वहां आया. वह युवती की दुपहिया पर बैठकर छेड़खानी करने लगा. युवती का शोर सुनकर लोग मदद के लिए आए. वह सोनू की धुनाई करने लगे. उसी वक्त पहुंची सीताबर्डी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. व्यस्त चौराहे पर इस तरह की घटना होना आश्चर्यजनक है.

फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर बदनामी

एक अन्य मामले में फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर एक परिचारिका की छवि मलिन की गई है. पीड़ित 26 वर्षीय विवाहिता है. अज्ञात आरोपी ने उसके नाम की फर्जी फेसबुक आईडी बनाई. उस आईडी से अश्लील फोटो और वीडियो लोगों को भेजे. इसका पता चलने पर उसने धंतोली थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने छेड़खानी तथा सूचना तकनीक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. पीड़िता की पति से अनबन है. वह मायके में रहती है. प्रकरण में परिचित व्यक्ति के ही लिप्त होने की आशंका है.

नेताजी की मृत्यु की नए सिरे से जांच की अपील खारिज

हाईकोर्ट ने मुखर्जी आयोग की समीक्षा करने से किया इंकार

नागपुर-'तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा' का नारा देनेवाले नेताजी सुभाषचंद्र बोस की मौत के मामले की नए सिरे से पड़ताल करने की अपील बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने बुधवार को खारिज कर दी.

इस संबंध में डॉ. सुरेश पाध्ये ने जनहित याचिका दायर की थी. उनका कहना था कि मुखर्जी आयोग ने बोस की मृत्यु की पड़ताल के बाद पेश रिपोर्ट को केंद्र शासन ने खारिज कर दिया था. न्यायालय ने कहा था कि इस प्रकरण की समीक्षा करना संभव नहीं है. न्यायमूर्ति भूषण धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति रोहित देव ने यह फैसला सुनाया.14 मई 1999 को मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था. नेताजी की मृत्यु हुई अथवा वे जीवित हैं, उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई अथवा अन्य किसी कारण से, क्या जपान के रेणकोजी मंदिर में रखी गईं अस्थियां नेताजी की हैं? अगर नेताजी जीवित हैं तो कहां हैं? आदि सवालों

के जवाब खोजने का जिम्मा आयोग को सौंपा गया था. आयोग ने जपान, ताइवान, रूस, इंग्लैंड आदि देशों में जाकर पड़ताल की. 133 गवाह और विभिन्न दस्तावेजों की जांच की. इसमें आयोग को अलग-अलग तरह की जानकारी हासिल हुई. किसी ने कहा कि नेताजी की मृत्यु दिल्ली के लाल किले और किसी ने कहा कि वे विमान दुर्घटना में मारे गए. लेकिन नेताजी का विमान रूस और ताइवान में गिरने के कोई सबूत नहीं मिले हैं. पाया गया कि रेणकोजी मंदिर की अस्थियां नेताजी की नहीं थीं. कूचबिहार में शॉलमरी आश्रम बनाने वाले शारदानंदजी महाराज और फैजाबाद के गुमनामी बाबा के नेताजी होने की संभावना अनेकों ने व्यक्त की थी. लेकिन इसके भी कोई सबूत नहीं मिले हैं.मुखर्जी आयोग ने 7 नवंबर 2005 को रिपोर्ट पेश की. इसमें उन्होंने कहा कि नेताजी जिंदा नहीं हैं लेकिन उनकी मौत कैसे हुई, यह नहीं बताया जा सकता इसलिए केंद्र शासन ने इस रिपोर्ट को खारिज किया. याचिका में नेताजी की मृत्यु की नए सिरे से पड़ताल करने की मांग की गई थी.

अब तक तीन बार हो चुकी है जांच

नेताजी की मृत्यु के मामले की अब तीन बार जांच की गई. जांच के लिए शासन ने 5 अप्रैल 1956 को शाहनवाज समिति और 11 जुलाई 1970 को न्यायमूर्ति जी.डी. खोसला आयोग का गठन किया था. इन दोनों की रिपोर्ट से कोई परिणाम सामने नहीं आया. इसके बाद कोलकाता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी. न्यायालय ने प्रकरण की नए सिरे से जांच करने के निर्देश दिए जाने के बाद मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था. याचिकाकर्ता की तरफ से एड. अक्षय सुदामे ने पैरवी की.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अहिर की घोषणा

खदान - चंद्रपुर-यवतमाल में 32 नई कोयला खदानें

संवाददाता, 22 जून

चंद्रपुर- भाजपा सरकार के बीते 3 वर्षों में वेस्टर्न कोल फील्ड में नई कोयला खदानें शुरू हो चुकी हैं. जिसमें 5500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है साथ ही कोयले का उत्पादन बढ़कर राजस्व में भी काफी बढ़ोत्तरी हुई है. आगामी कुछ वर्षों में चंद्रपुर-यवतमाल परिसर में और 32 कोयला खदानें शुरू की जाएंगी. ऐसी घोषणा केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर ने नजदीकी बल्लारशाह में आयोजित पत्रकार वार्ता में की. मंत्री अहिर 'सबका साथ, सबका विकास' सम्मेलन में शामिल होने बल्लारशाह पहुंचे थे. कोयला उत्पादन से तीन वर्ष के पूर्व केवल 2 हजार करोड़ रु. का राजस्व मिलता था. अब 3200 करोड़ रु. का राजस्व मिल रहा है. अच्छा नियोजन, उत्कृष्ट करने की लगन व भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के कारण उद्योग क्षेत्र में अच्छे नतीजे दिख रहे हैं. भाजपा के किसी भी मंत्री अथवा नेता पर भ्रष्टाचार का एक भी धब्बा नहीं और इसी बात को लगातार बनाए रखकर देश भ्रष्टाचार मुक्त बने, ऐसा संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

किया है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे व उन्होंने बनाई हुए विदेश नीति से दुनिया में भारत की प्रतिमा बढ़ी है. भाजपा सरकार की स्पष्ट, निर्णायक व कठोर भूमिका के कारण ही पाकिस्तान आतंकवादी राष्ट्र है, यह दुनिया के सामने आया है. विपक्ष भाजपा को जातीय पक्ष है ऐसा कहता है लेकिन उसमें तथ्य नहीं यह बात भाजपा ने राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी घोषित कर स्पष्ट किया है. यह सब बातें सबका साथ सबका विकास की ओर उंगली बताते हैं, ऐसा दावा मंत्री हंसराज अहिर ने किया. कई उद्योग पत्रक वार्ता में जिप अध्यक्ष देवराव भोंगले, वेकोलि के महाव्यवस्थापक रमाकांत मिश्रा, भाजपा मुस्लिम आघाड़ी के शेख जुम्मन, श्रीनिवास सुंचुवार आदि मौजूद थे.

अति. सचिव पेड़गांवकर के खिलाफ वारंट जारी

नागपुर- आदेश का पालन न करने और फिर अवमानना के नोटिस देने के बाद भी शपथपत्र दाखिल न करने पर हाईकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त सचिव एस.ए. पेड़गांवकर के खिलाफ बुधवार को जमानती वारंट जारी कर दिया. आदेश के अनुसार, पेड़गांवकर को 5 जुलाई को 15,000 रुपए के मुचलके पर जमानत लेनी होगी. उल्लेखनीय है कि सामाजिक कार्यकर्ता मनोज नामदेवराव वालके द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी कि समाज कल्याण विभाग में भारी संख्या में रिक्त पदों के चलते कई सरकारी योजनाओं का कार्यान्यवन नहीं हो पाता. ज्ञात हो कि सरकारी योजनाओं को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति स्तर पर समाज कल्याण विस्तार अधिकारी पद का निर्माण किया गया है. बावजूद इसके कई जरूरी पद अब भी खाली हैं.सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि 14 अक्टूबर 2015 को राज्य सरकार ने शपथपत्र प्रस्तुत कर बताया था कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक ली गई है जिसमें अगले 6 महीनों में नये पदों का निर्माण करने का फैसला किया गया.इसके बाद 25 फरवरी 2016 को राज्य सरकार के इस निर्णय को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई. हाईकोर्ट के आदेश को 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन सरकार ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया.इसलिए वालके ने हाईकोर्ट की शरण ली और अवमानना की याचिका दाखिल की. इस पर सुनवाई करते हुए मार्च 2017 में उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त सचिव के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया. लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी पेडगांवकर ने कोई उत्तर नहीं दिया. ऐसे में जस्टिस भूषण धर्माधिकारी और जस्टिस राहुल देव की बेंच ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया. याचिकाकर्ता की ओर से एड. अश्विन इंगले ने दलीलें पेश कीं.

10 सिंचाई परियोजनाओं के संशोधित प्रस्तावों को मंजूरी

1.16 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में होगी बढ़ोत्तरी

प्रतिनिधि, 22 जून

नागपुर- सरकार ने राज्य के 9 जिलों की 10 सिंचाई परियोजनाओं के सुधारित प्रस्ताव को मंजूरी देने का निर्णय लिया है. इन परियोजनाओं के जरिए 1 लाख 16 हजार 386 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होगी. यह जानकारी राज्य के जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन ने दी. उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2014-17 के बीच 173 परियोजनाओं को सुधारित मान्यता प्रदान की है. इसमें से 93 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं.

'महाजन ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से अब तक राज्य के विभिन्न पाटबांधरे महामंडल के अंतर्गत 18 परियोजनाओं को मंत्रिमंडल ने, 66 को व्यय अग्रक्रम समिति ने और 70 को परियोजना नियामक मंडल ने सुधारित मान्यता दी है. इसी तरह इस दौरान 15 खार जमीनों को भी सुधारित मान्यता दी गयी है. इस तरह ढ़ाई वर्षों में कुल 173 परियोजनाओं

को सुधारित मान्यता दी गयी है.

विदर्भ की 28 परियोजनाएं शामिल हैं. इससे करीब 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विकास हुआ है. सरकार ने जिन सिंचाई परियोजनाओं को सुधारित मान्यता दी है, उनमें तिलारी अंतर्राज्यीय परियोजना से सिंधुदुर्ग और गोवा को लाभ, अपर प्रवरा परियोजना से अहमदनगर-नाशिक को लाभ, सांगोला शाखा कालवा से पुणे-सातारा व सोलापुर को लाभ, अर्जुना मध्यम परियोजना से रत्नागिरी, रापापुर लापा परियोजना से नंदूरबार, चिंचपाणी लापा परियोजना से जलगांव, बबलाद कोपबं से सोलापुर, सोरेगांव लापा परियोजना से सोलापुर, दरिबड़ लापा परियोजना से सांगली, पिंपलगांव खांड लापा परियोजना से अहमदनगर को लाभ होगा. महाजन ने कहा कि अगले 2 वर्षों में 140 परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. विभिन्न परियोजनाओं के जरिए पिछले 3 वर्षों में 91 हजार 391 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ाई गयी है. इसका करीब 50 हजार किसानों को लाभ हो रहा है.

शिवसेना ने जीआर की जलाई होली

प्रतिनिधि,22 जून

बुलढाणा- किसानों की कर्जमाफी में सरकारी शर्तों का शिवसेना ने विरोध जताया है. शिवसेना ने इस संबंध में जारी किए गए सरकारी जीआर की होली भी जलाई. शिवसेना ने कहा है कि कर्जमाफी के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए जीआर में कई शर्तें लगाई गई हैं. यदि इन शर्तों को माना जाएगा तो एक भी किसान को कर्जमाफी नहीं मिल सकेगी. नाराज शिवसेना ने राज्य के कृषिमंत्री पांडुरंग पुंडकर के खामगांव स्थित उपविभागीय कार्यालय के सामने सरकारी जीआर की होली भी जलाई.

शिवसेना ने आरोप लगाया है कि कर्जमाफ होने तक खरीफ की फसल के लिए सरकार ने 10,000 रुपए देने का निर्णय लिया था. इसके लिए सरकार ने किसानों से शपथपत्र भरवाने का आदेश भी दिया था. सरकार का यह आदेश किसानों के जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा है. इन शर्तों को पूरा करने पर किसानों को बुआई के लिए 10,000 रुपए नहीं मिल सकेंगे.

कर्ज के लिए राष्ट्रीयकृत व निजी बैंकों की ना!

किसान चक्कर काटने को विवश

प्रतिनिधि, 22 जून

अकोला- सरकारी फैसले के अनुसार 30 जून 2016 के बकायादार किसानों को 10 हजार रुपयों की आर्थिक सहायता देने से भी जिले की राष्ट्रीयकृत और निजी बैंक कतरा रही है. इस कारण 14 जून से किसानों ने बैंकों के कई चक्कर काटे, इसके बावजूद उन्हें निराशा ही मिली. दूसरी ओर बैंकों की ओर से कहा जा रहा है कि इस संदर्भ में सरकार का कोई आदेश नहीं है. बैंकों की इस भूमिका के कारण किसान हताश हो गए हैं.सरकार ने कर्जमाफी के आदेश में निरंतर बदलाव किए हैं. बकायेदार किसान तय करने के लिए 30 जून 2016 तक की अवधि तय की गई. उस दिन तक जिन किसानों का कर्ज बकाया है, उन्हें खरीफ की बुआई के लिए कम से कम 10 हजार रुपयों का कर्ज शीघ्र मुहैया कराने का आदेश राज्य की सभी जिला सहकारिता बैंकों और निजी बैंकों को ही दिया गया था. उसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों का जिक्र ही नहीं. राष्ट्रीयकृत बैंक राज्य सरकार के

आदेश को भी नहीं मानती. ये बैंक सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक या राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के आदेश को मानती हैं. अब तक ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं होने की जानकारी मिली है. जिला बैंक और राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण बैंकों के खाताधारकों का प्रमाण 52.48 प्रतिशत होने से बड़े पैमाने पर किसानों को परेशानी हो रही है.सरकार ने बकायादार शब्द की जो व्याख्या की है, उसके दायरे में आने वाले किसानों को 10 हजार रुपयों का कर्ज देना अपेक्षित था, लेकिन अब तक जिले की 23 बैंकों की शाखाओं में कहीं भी इस पर अमल शुरू नहीं किए जाने की जानकारी मिली है. कर्जमाफी को लेकर पहले ही माहौल गरमाया है, उस पर सरकारी आदेश के बावजूद किसानों को कर्ज न मिलने से असंतोष बढ़ रहा है. सरकारी आदेश के ढकोसले पर भी किसानों को नाराजगी है.

सभी बैंकों को आदेश

सरकार ने सभी बैंकों को आदेश दिया है. उस आदेश के अनुसार सभी बैंकों को कर्ज वितरित करना चाहिए. राष्ट्रीय बैंकों की ओर से जो मुद्दा पेश किया जा रहा है, वह वरिष्ठ स्तर का है. उस संदर्भ में सरकार को अवगत कराया जाएगा.

जी.जी. मावले, जिला उपनिबंधक, सहकारी संस्था

आरबीआई का आदेश नहीं मिला

'राष्ट्रीयकृत बैंकों को अब तक रिजर्व बैंक या बैंकर्स समिति का आदेश नहीं मिला है. किसान कर्ज प्राप्ति के लिए निर्धारित मानक पर खरे उतरते हैं तो उन्हें कर्ज प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी.

तुकाराम गायकवाड़, प्रबंधक, अग्रणी बैंक

पात्र बकायादार 75 हजार

सरकार द्वारा निर्धारित अवधि एवं पात्रता के आधार पर 75 हजार बकायादार किसान हैं. इनमें से 44 हजार जिला बैंक तो 31 हजार राष्ट्रीयकृत बैंकों के खाताधारक हैं. जिला बैंक द्वारा पहले ही वसूली कर वितरण शुरू किए जाने की जानकारी है, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक आदेश न मिलने का कारण सामने कर किसानों को वापस भेज रही है. इनमें जिले की 23 बैंकों की शाखाओं का समावेश है.

आज का इतिहास 23 जून

1532	इंग्लैंड नरेश हेनरी अष्टम और फ्रांस नरेश फ्रांसिस प्रथम ने रोम के खिलाफ आपसी समझौता किया.
1672	फ्रांस के विस्तार को रोकने के लिए रोम और ब्रैंडनबर्ग ने गठबंधन किया.
1757	सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ.
1848	फ्रांस में श्रमिकों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई में हजारों लोग मारे गए.
1934	सऊदी अरब और यमन ने छह सप्ताह के संघर्ष के बाद संघर्ष विराम हुआ था.
1950	कर्नल अब्दुल गमाल नासिर मिस्त्र के राष्ट्रपति चुने गए.
1953	श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन
1980	संजय गांधी की मौत विमान दुर्घटना में हुई.
1985	एयर इंडिया का जम्बो जेट कनिष्क 329 यात्रियों सहित अटलांटिक महासागर में गिर पड़ा.
1989	मुस्लिम विद्रोहियों ने काबुल पर राकेटों से हमले किए, जिसमें सैकड़ों लोग हताहत हुए.
1990	मिखाइल गोर्बाच्योव के कट्टर आलोचक इवान पोलोकाव रुसी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख चुने गए.
1997	चारा घोटाले में लालूप्रसाद यादव व अन्य 55 व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट
2004	भारत और पाकिस्तान वाण्ज्यि दूतावास दुबारा खोलने पर सहमत
2005	घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने हेतु विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी.

वर्धा-यवतमाल-नांदेड़ रेल परियोजना पर अब प्रधानमंत्री का वॉच

प्रगति पोर्टल में समावेश, 28 को पीएम लेंगे जायजा

प्रतिनिधि, 22 जून

यवतमाल- विदर्भ-मराठवाड़ा के विकास के लिए महत्वपूर्ण वर्धा-यवतमाल-नांदेड़ रेल परियोजना पर अब सीधे प्रधानमंत्री का वॉच रहेगा. परियोजना का समावेश प्रधानमंत्री के 'प्रगति पोर्टल' में किया गया है.

महत्वाकांक्षी वर्धा-यवतमाल-नांदेड़ 284 किलोमीटर के ब्रॉडगेज रेल मार्ग की प्रगति का जायजा अब तक मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस के 'वॉर रूम' से लिया जा रहा था, किंतु अब यह परियोजना प्रधानमंत्री के 'प्रगति पोर्टल' में शामिल हो जाने से इस परियोजना के काम की प्रगति का नियमित जायजा लिया जाएगा.

सीधे प्रधानमंत्री के 'प्रगति पोर्टल' में वर्धा-यवतमाल-नांदेड़ रेल मार्ग का समावेश होना बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

28 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री इस काम का जायजा लेंगे. इसी के मद्देनजर राज्य के मुख्य सचिव 22 जून को दोपहर 12 बजे नागपुर-अमरावती, औरंगाबाद के संभागीय आयुक्त और वर्धा, यवतमाल, नांदेड़, हिंगोली तथा वाशिम के जिलाधिकारियों से ब्रीफिंग लेंगे.वर्धा-यवतमाल-नांदेड़ रेल परियोजना के लिए वर्ष 2022 का टार्गेट रखा गया है. 2022 तक यह रेल शुरू हो जाएगी. यवतमाल जिले का संपूर्ण काम 2019 तक पूर्ण कर रेलवे की टेस्टिंग लेने का नियोजन है. वर्धा जिले में इसके भूमि अधिग्रहण का कार्य अंतिम चरण में है. कुल 284 किलोमीटर में से सर्वाधिक 192 किलोमीटर का ट्रैक यवतमाल जिले से जाएगा. इसके लिए कलंब, यवतमाल, दारव्हा, दिग्रस, पुसद, उमरखेड़ छह तहसीलों में 1,152 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी. इसमें कलंब और यवतमाल तहसीलों में 225 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी. इन तहसीलों में 27 में से भूमि अधिग्रहण के 55 करोड़ 17 लाख के 24 मामले पूर्ण कर लिए गए हैं. वड़गांव, गोधनी और भोयर के मामले अभी शेष हैं.

कलंब एवं यवतमाल तहसीलों में तीन वर्ष में होने वाला भूमि अधिग्रहण का काम केवल एक वर्ष में पूर्ण कर लिया गया है. भूमि अधिग्रहण का यह पैटर्न समृद्ध महामार्ग और राज्य की अन्य छोटी-बड़ी परियोजनाओं के लिए पथप्रदर्शक साबित हुआ है.

विजय दर्डा के भगीरथ प्रयास

वर्धा-यवतमाल-नांदेड़ रेल मार्ग के लिए तत्कालीन सांसद विजय दर्डा ने भगीरथ प्रयास किए. उन्हीं के अथक प्रयासों से केंद्र की यूपीए सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन रेल मंत्री लालूप्रसाद यादव के हाथों 11 फरवरी 2009 को इस मार्ग की आधारशिला का अनावरण किया गया था. बाद में अपने राज्यसभा के कार्यकाल के दौरान विजय दर्डा ने लगातार इस महत्वपूर्ण रेलमार्ग के लिए प्रयास कर केंद्र तथा राज्य की सरकार की राशि प्राप्त करने का प्रयास किया. अब स्वयं प्रधानमंत्री ने इस मार्ग को अपने 'प्रगति पोर्टल' में शामिल करने से यह मार्ग निर्धारित समय में पूर्ण होने की उम्मीद है.

अब रेल मंत्री का इंतजार

भूमि अधिग्रहण के अवॉर्ड वितरण का कार्य गत दिनों मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस के हाथों बाभुलगांव दौरे के दौरान भारी गांव के नागरिकों को किया गया. अब वड़गांव में 12 हेक्टेयर जमीन के लगभग 110 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक अवॉर्ड दिए जाएंगे. इसके लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने यवतमाल में आकर रेल परियोजना के काम को और गति, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देने की मंशा स्थानीय नागरिकों की है. 'जिलाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में युद्ध स्तर पर इसके भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण किया जा रहा है. 110 करोड़ के अवार्ड वितरण के लिए रेल मंत्री आने पर इस परियोजना के काम को और भी गति मिल सकती है.

-विजय भाकरे, भूमि अधिग्रहण अधिकारी तथा उप जिलाधिकारी, रेल परियोजना, यवतमाल